



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228846
CG-DL-E-10082021-228846

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]
No. 447]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2021/श्रावण 18, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2021/SRAVANA 18, 1943

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 546(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कोयला खान नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. कोयला खान नियंत्रण नियम, 2004** (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:--

“2. परिभाषाएं—(1) जब तक कि इन नियमों में संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

- (क) ‘अधिनियम’ से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) अभिप्रेत है;
- (ख) ‘अभिकर्ता’, ‘प्रबंधक’ और ‘स्वामी’ जब उनका उपयोग किसी कोयला खान के संबंध में किया जाए तो क्रमशः उनका वही अर्थ होगा जो खान अधिनियम, 1952 में उनका है;
- (ग) ‘कोयला’ के अंतर्गत एनथ्रासाइट, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट और कार्बनीकृत पदार्थ है, जिसका विक्रय या विपणन ओपल के रूप में और कोक के रूप में किया जाता है;

(घ) 'कोयला नियंत्रक' से उस रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा कोयला नियंत्रक संगठन (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 1986 के उपबंधों के अधीन नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ङ) 'कोयला खान' से कोई खान या खुला कार्यक्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें कोयले की विनिंग या निष्कर्षण, खनन, उत्खनन या उनमें की जा रही संक्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है और जिसके अंतर्गत कोक के उत्पादन या कोयले के धावन के लिए संयंत्र सम्मिलित है;

(च) 'निपटान' के अंतर्गत निपटान के लिए सहमति या प्रस्ताव और सांपातिक हित, स्वामित्व का अधिकार और कब्जा, चाहे उसके साथ स्वामित्व या किसी अन्य सांपातिक हित का निपटान है या नहीं, सम्मिलित है;

(छ) 'कोयला खानों में सुरक्षा' कोयला खान के ऊपर सतह पर स्थित किसी रेल की सुरक्षा सम्मिलित है;

(ज) 'आकार' जब उसका उपयोग कोयले के संबंध में किया जाता है तो उसकी वही विनिर्दिष्टियां होंगी, जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय उनकी विशिष्ट संख्या आईएस : 437-1979 द्वारा पर दी जाती है;

(झ) 'नौभरण' बालू या किसी अन्य पदार्थ या दोनों से कोयले के उत्खनन द्वारा किसी कोयला खान में छोड़े गए भूमिगत स्थानों को भरने की संक्रिया अभिप्रेत है;

(ञ) 'धावन' से कोई ऐसी प्रक्रिया या प्रक्रियाओं का समुच्चय अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए और जिससे कोयले में पाई गई किसी संपूर्ण शेल और खनिज पदार्थ अथवा उसके किसी भाग को उसमें से हटाया जाए;

(2) वह शब्द, पद, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किंतु यहां परिभाषित नहीं हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों में है।

3. मूल नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“5. कोयला नियंत्रक को विवरणियों और सूचना का प्रस्तुत किया जाना—

(1) प्रत्येक कोयला खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक और कोयले के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण या व्यापार और वाणिज्य के कारबार में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति कोयला नियंत्रक द्वारा ऐसा निदेश दिए जाने पर ऐसी विवरणियां और अन्य सूचना, जिसके अंतर्गत कोयले के उत्पादन के पारेषण, उसकी खानों से उत्पादों की धावन, धावन और प्रक्रिया उत्पाद, उसकी खान या खानों में कार्य पद्धति और स्थितियों की ऐसे समय के भीतर, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक, कोयला नियंत्रक को किसी खान, सीम या सीम के अनुभाग को खोलने, पुनः खोलने, बंद करने के संबंध में ऐसी अन्य सूचना और कोई अन्य सूचना, जो कोयला नियंत्रक द्वारा अंतरण के लिए विहित माध्यम के संबंध में अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करेगा।”

4. मूल नियमों के नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“10क. खान बंद करने और खान बंद करने के कार्यकलाप का वित्तपोषण करने के लिए विरचित एस्क्रो खाते की मानीटरी और प्रचालन की शक्ति—कोयला नियंत्रक या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी इस नियम की अनुपालना को सुरक्षित करने की दृष्टि से,—

(क) कोयला खान के किसी स्वामी या अभिकर्ता या प्रबंधक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अनुमोदित खान बंद करने की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उसके कब्जे में की कोई जानकारी प्रदान करे;

(ख) खान में किए जा रहे बंद करने संबंधी क्रियाकलापों का निरीक्षण करे और खान बंद करने संबंधी योजना की शर्तों को पूरा करने के लिए किए जाने वाले किसी अतिरिक्त कार्य के लिए निदेश दे;

(ग) कोयला नियंत्रक खान बंद करने संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसके आधार पर पुनरुद्भूत पट्टाधृत क्षेत्र या उस पर कोई संरचना, जिसका उपयोग खान स्वामी के द्वारा नहीं किया जाना है, अधिकथित ऐसी प्रक्रिया का पालन करके राज्य सरकार को लौटा दी जाएगी, जो उस समय प्रचलन में है।”

5. मूल नियम के नियम 12 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“12क. कोयला के संरक्षण और कोयला खानों के विकास के संबंध में केंद्रीय सरकार की शक्ति—(1) केंद्रीय सरकार, कोयला के संरक्षण के प्रयोजन के लिए और कोयला खानों के विकास के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी और ऐसे उपाय कर सकेगी या करवा सकेगी, जो वह आवश्यक या उचित समझे।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केंद्रीय सरकार कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक को लिखित में संबोधित आदेश द्वारा उससे अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे उपाय करे, जो वह कोयला के संरक्षण के प्रयोजन के लिए या कोयला खानों के विकास के लिए आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(क) किसी कोयला खान में सुरक्षा भरणार्थ; या

(ख) किसी ऐसे कार्य का निवारण, जो कोयला के संरक्षण या कोयला खान के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो; या

(ग) कोयला के भस्म तत्वों का लाभ पहुंचाने या उनमें कमी करने की दृष्टि से कोयला का धावन।

(3) केंद्रीय सरकार, यदि उसका ऐसे सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि कोयला खान के संबंध में उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन उसके द्वारा किए गए उपायों, यदि कोई हो, के खर्च की वसूली न्यायोचित है तो वह कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक से या तो पूर्णतः या भागतः ऐसे खर्च की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसी रीति में कर सकेगी।

12ख. कोयला खान के संरक्षण और विकास के लिए उपाय करने के लिए स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक का कर्तव्य—(1) कोयला खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक उसके स्वामित्वाधीन प्रत्येक कोयला खान के संबंध में ऐसे उपाय करेगा, जो कोयला के संरक्षण और कोयला खान के विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(2) उपनियम (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोयला खान का स्वामी अभिकर्ता या प्रबंधक,—

(क) ऐसे भरण और अन्य संक्रियाएं निष्पादित करेगा, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों, जहां तक ऐसे उद्देश्यों का संबंध कोयला के संरक्षण या कोयला खान के विकास या कोयला खान से अभिप्राप्त कोयला के उपयोग से है, को अग्रसर करने में आवश्यक हों;

(ख) ऐसी भरण और अन्य सामग्री अर्जित करेगा, जो कोयला के संरक्षण तथा कोयला खान में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों;

(ग) कोयला के संरक्षण, कोयला खानों के विकास और कोयला के उपयोग के संबंध में अनुसंधान करेगा;

(घ) वैज्ञानिक रीति में कोयला खानों के बारे में योजना बनाएगा और उनका विकास करेगा।

12ग. कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति—(1) केंद्रीय सरकार, कोयला खान संरक्षण और विकास लेखा के उधार की राशि के संवितरण के लिए प्रक्रिया अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, सरकार को सलाह देने के लिए “कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति” नामक एक सलाहकार समिति गठित कर सकेगी।

(2) सलाहकार समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) अपर सचिव (कोयला), कोयला मंत्रालय, पदेन, जो अध्यक्ष होगा;

(ii) वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, पदेन – सदस्य;

(iii) सलाहकार (परियोजनाएं), कोयला मंत्रालय - सदस्य;

(iv) खान सुरक्षा महानिदेशक, श्रम मंत्रालय, पदेन - सदस्य;

(v) वरिष्ठ सलाहकार (ऊर्जा), नीति आयोग - सदस्य;

(vi) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बीसीसीएल - सदस्य;

(vii) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, ईसीएल - सदस्य;

(viii) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान - सदस्य;

- (ix) निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड - सदस्य;
- (x) निदेशक (तकनीकी), एससीसीएल - सदस्य;
- (xi) निदेशक, केन्द्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, पदेन - सदस्य;
- (xii) कोयला नियंत्रक, कोयला मंत्रालय - सदस्य सचिव;

(xiii) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्राइवेट या कैप्टिव कोयला उत्पादन संगठनों के दो प्रतिनिधि ।

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोयला संरक्षण और विकास सलाहकारी समिति -

(क) केन्द्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान या इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में की जा सकने वाली सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए, देश के कोयला भंडारों के संरक्षण, विकास और वैज्ञानिक उपयोग के संबंध में राष्ट्रीय नीति विरचित करने तथा उसके कार्यान्वयन के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी ;

(ख) उन उपायों की सिफारिश करेगी जिन्हें -

(i) कोयला संसाधनों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए,

(ii) वैज्ञानिक रीति में कोयला खानों का विकास करने के लिए किया जाना चाहिए,

(iii) कोयले के संरक्षण, कोयला खानों के विकास तथा कोयले के उपयोग के संबंध में अनुसंधान करने के लिए किया जाना चाहिए,

(iv) कोयले की खान बन्द करने की योजना (लिग्राईट समेत) पर राष्ट्रीय नीति विरचित करने तथा उसके कार्यान्वयन के लिए किया जाना चाहिए,

(v) कोयले के बेहतर उपयोग के लिए किया जाना चाहिए ;

(ग) उन वर्गों, श्रेणी या आकारों की सिफारिश करेगी जिनमें कोयला या कोक प्रवर्गीकृत किया जा सकेगा;

(घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए कोयला खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं या प्रबन्धकों को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को वित्तीय सहायता स्कीम के अधीन निधियों के वितरण पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देगी;

(ङ) केन्द्रीय सरकार को उस रीति जिसमें तथा वह शर्त जिसके अधीन वित्तीय सहायता अनुदत्त की जाएगी, पर सलाह देगी;

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वित्तीय सहायता का उपयोग उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, किया जा रहा है या किया गया है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि क्या इसके अधीन किए गए उपबंध का पालन किया जा रहा है, परीक्षण, जांचों और निरीक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार को उस प्रक्रिया के संबंध में सलाह देगी जो अंगीकृत की जानी चाहिए;

(छ) केन्द्रीय सरकार को उस कार्रवाई की सिफारिश करेगी जो उस व्यक्तियों के विरुद्ध की जानी चाहिए जो उपबंधों के अनुपालन में तथा स्कीमों के कार्यान्वयन में भी कोई व्यतिक्रम करते हैं तथा कोयला खानों के संरक्षण और विकास के लिए उपाय हेतु सिफारिश करेगी ।

(4) कोयला संरक्षण और विकास सलाहकारी समिति, जब कभी भी केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, बैठक करेगी तथा उसे स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) कोयला संरक्षण और विकास सलाहकारी समिति का गठन न होना या उसमें कोई रिक्ति से कोयला खान संरक्षण और विकास खाते में जमा होने वाली राशियों में से किन्हीं रकमों का वितरण या उपयोजन अविधिमान्य नहीं होगा ।

12घ. वे प्रयोजन जिनके लिए निधियों का वितरण किया जा सकेगा - केन्द्रीय सरकार, कोयला संरक्षण और विकास सलाहकारी समिति की सिफारिशों का ध्यान रखते हुए, निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए कोयला खानों के स्वामियों, अभिकर्ताओं या प्रबन्धक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को वितरण कर सकेगी, अर्थात्:-

(1) संरक्षण और सुरक्षा --

(क) भरण प्रचालन ।

(ख) संरक्षण कार्य जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं –

(i) अज्वलनशील सामग्रियों से लपेटना;

(ii) धसान को भरना;

(iii) शाखा खंदकों को काटना;

(ग) सतह संरक्षण उपाय जिसके अन्तर्गत धसान के क्षेत्रों के ऊपर भवनों और संरचनाओं को खाली करना तथा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास;

(घ) भरण प्लांटों, ब्लैंडिंग प्लांटों तथा कोयले के परिष्करण के लिए प्लांटों को लगाना;

(ङ) बालू को प्राप्त करने तथा उसके परिवहन के लिए स्कीमें ।

(2) कोयला खानों का वैज्ञानिक विकास –

(क) नई कोयला खनन पद्धतियों का विकास, विस्फोटकों का विकास और उपयोग;

(ख) खानों में विभिन्न भूमिगत और सतही परिवहन प्रणालियों के तकनीकी-आर्थिक अध्ययन;

(ग) गहरी खानों में चट्टानों के फटने की समस्याओं का अन्वेषण;

(घ) विभिन्न खनन दशाओं के अधीन रूफ बोल्लिंग का अन्वेषण;

(ङ) मेन राईडिंग सिस्टम का आरम्भ;

(च) खनन में उपयोजन हेतु आईटी तथा अन्य इलैक्ट्रानिक सहायताएं ।

(3) अनुसंधान और विकास –

(क) भरण सामग्री का परिवहन;

(ख) खानों में भरण के लिए अपशिष्ट सामग्रियों की उपयुक्तता का अन्वेषण;

(ग) खान में अग्नि दुर्घटना की समस्या का अन्वेषण तथा उन्हें नियंत्रित करने वाली विभिन्न पद्धतियों की प्रभाव्यता;

(घ) खानों में वातायन तथा अन्य पर्यावरणीय दशाओं का मूल्यांकन;

(ङ) मिथेन उत्सर्जन तथा अत्यंत गैसीय कोयला दरारों से अपवहन;

(च) खनन क्षेत्रों में सतह प्रदूषण तथा पर्यावरणीय नियंत्रण पर अनुसंधान;

(छ) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्देशित संरक्षण की वृद्धि के लिए कोई अन्य क्रियाकलाप;

(4) सलाहकारी समिति के कार्य के संबंध में व्ययों को पूरा करना

(5) सड़क मार्गों का विकास तथा रेल अवसंरचना का सृजन ।

12.ड सहायता के लिए आवेदन: 12.(घ) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक कोयला खान के प्रत्येक स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति को कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप में कोयला नियंत्रक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

12.च सहायता की मात्रा—केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान की जाएगी।

12.छ सहायता अनुदत्त करने की शर्तों की स्वीकृति—केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अधीन सहायता अनुदत्त करने से पहले कोयला खान के स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिन्हें सहायता अनुदत्त करने का प्रस्ताव है पूरी की जाने वाली शर्तें विनिर्दिष्ट करेगी और ऐसे स्वामी द्वारा ऐसी शर्तों की स्वीकृति को लिखित रूप में सुरक्षित करेगी।

12. ज वार्षिक रिपोर्ट का निवेदन—प्रत्येक व्यक्ति जिसे धन संचितरित किया गया है प्रति वर्ष 30 सितंबर तक कोयला नियंत्रक को कोयला खान संरक्षण और विकास खाता के संबंध में संपरीक्षक की रिपोर्ट और कोयला नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राप्ति और संदाय के विवरण के साथ साथ प्राप्ति और संदाय के विवरण की प्रति के साथ पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता के उपयोग से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. 12012/3/2021-पीएस-1]

भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) के अधीन संख्या सं.का.नि. 540(अ) तारीख 25 अगस्त, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2021

G.S.R. 546(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Colliery Control Rules, 2004, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Colliery Control (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Colliery Control Rules, 2004 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

“2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

- (a) ‘Act’ means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);
- (b) ‘agent’, ‘manager’ and ‘owner’ when used in relation to a colliery shall have the meanings respectively assigned to them in Mines Act, 1952;
- (c) ‘coal’ includes anthracite, bituminous coal, lignite, peat and any other form of carbonaceous matter sold or marketed as opal and also coke;
- (d) ‘Coal Controller’ means the person appointed as such by the Central Government under the provisions of the Coal Controller’s Organisation (Group ‘A’ Posts) Recruitment Rules, 1986;
- (e) ‘colliery’ means any mine or open working where winning or extraction of coal is the principal object of the mining, quarrying or any other operation carried on therein and includes a plant for production of coke or for the washing of coal;
- (f) ‘disposal’ includes agreeing or offering to dispose of, and the disposal of ownership or any proprietary interest, the right of possession and possession whether or not accompanied by any disposal of ownership or any other proprietary interest;
- (g) ‘safety in coal mines’ includes the safety of any railway situated on the surface above coal mine;
- (h) ‘size’ when used in relation to coal shall have the same specifications as given, from time to time, by the Bureau of Indian Standards in their specifications number IS: 437-1979;
- (i) ‘stowing’ means operation of filling with sand or any other material, or with both, spaces left underground in a coal mine by extraction of coal;
- (j) ‘washing’ means such process or combination of processes as may be approved in this behalf by the Central Government by which the whole or any part of the shale and minerals matter found in the coal is removed therefrom.

(2) The words, expressions used in these rules but not defined herein shall have the same meaning as referred to them in the Act or rules made thereunder.”

3. In the principal rules, for Rule 5, following shall be substituted, namely:—

“5. Submission of returns and information to Coal Controller.—

- (1) Every owner, agent or manager of a colliery and every person engaged in the business of production, supply and distribution of, or trade and commerce in coal, on being directed to do so by the Coal

Controller shall submit such returns and other information including information regarding production of dispatch of coal, washery products from his mines, washery and process products, working methods and conditions in his mine or mines, within such time, as may be specified in the direction.

- (2) Every owner, agent or manager shall furnish to the Coal Controller such other information regarding opening, re-opening, closure of mine, seam or section of seam and any other information as may be required by the Coal Controller in respect of prescribed media for transfer.”.

4. In the principal rules, after rule 10, the following rule shall be inserted, namely.—

"10A. Power to Monitor Mine Closure and operate the escrow account formed for funding Mine Closure Activity – The Coal Controller or any other officer authorised by him in writing may with a view to securing compliance of this rule, -

- (a) require any owner or agent or manager of a colliery to give any information in his possession regarding to implementation of approved mine closure plan;
- (b) inspect the closure activities being conducted at the mine and direct for any additional jobs to be carried out to fulfil the conditions of Mine Closure Plan;
- (c) Coal Controller shall issue Mine Closure Compliance Certificates based on which the reclaimed leasehold area or any structure thereon which is not to be utilised by the mine owner shall be surrendered to the State Government following a laid down procedure which are in vogue at that point of time."

5. In the principal rules, after rule 12, the following rules shall be inserted, namely:—

"12A. Power of Central Government in respect of conservation of coal and development of coal mines.—(1) The Central Government may, for the purpose of conservation of coal and for the development of coal mines, exercise such powers and take, or cause to be taken, such measures as it may deem necessary or proper.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, the Central Government may, by order in writing addressed to the owner, agent or manager of a coal mine, require him to take such measures as it may think necessary for the purpose of conservation of coal or for development of coal mines, including—

- (a) in any coal mine, stowing for safety; or
- (b) the prevention of any factor which may adversely affect the conservation of coal or development of coal mine; or
- (c) washing of coal with a view to beneficiating and reducing the ash-contents of coal.

(3) The Central Government may, if it is satisfied after consideration of all the facts and circumstances that the recovery of the cost of measures, if any, undertaken by it under sub-rule (1) or sub-rule (2) in relation to a coal mine is justified, recover such cost from the owner, agent or manager of the coal mine, either wholly or partly, in the same manner as an arrear of land revenue.

12B. Duty of owner, agent or manager to take steps for the conservation and development of coal mine.—(1) The owner, agent or manager of a coal mine shall take, in relation to each coal mine owned by him, such steps as may be necessary to ensure the conservation of coal and development of the coal mine.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-rule(1), the owner, agent or manager of a coal mine shall—

- (a) execute such stowing and other operations as may be necessary to be taken in furtherance of the objects of the Act in so far as such objects relate to the conservation of coal or development of the coal mine or the utilisation of coal obtained from the coal mine;
- (b) acquire such stowing and other materials as may be necessary for ensuring the conservation of coal, and safety in, the coal mine;
- (c) undertake research in relation to conservation of coal, development of coal mines and utilisation of coal;
- (d) plan and undertake development of the coal mines in a scientific manner.

12C. Coal Conservation and Development Advisory Committee. — (1) For the purpose of determining the procedure for the disbursement of sums of the credit of the Coal Mines Conservation and Development Account, the Central Government may constitute an Advisory Committee, to be called the “Coal Conservation and Development Advisory Committee” to advise the Government.

(2) The Advisory Committee shall consist of the following members, namely: —

- (i) Additional Secretary (Coal), Ministry of Coal, ex-officio who shall be the Chairman;
- (ii) Financial Adviser and Joint Secretary, Ministry of Coal, ex-officio -member;
- (iii) Advisor (Projects), Ministry of Coal- member;

- (iv) Director General of Mine Safety, Ministry of Labour, ex-officio member;
- (v) Sr. Advisor (Energy), NitiAayog- member;
- (vi) Chairman-cum-Managing Director, BCCL- member;
- (vii) Chairman-cum-Managing Director, ECL-member;
- (viii) Chairman-cum-Managing Director, Central Mine Planning and DesignInstitute- member;
- (ix) Director (Technical), Coal India Ltd.- member;
- (x) Director (Technical), SCCL-member;
- (xi) Director, Central Institute of Mining & Fuel Research, Dhanbad, ex-officio member;
- (xii) Coal Controller, Ministry of Coal – member secretary;
- (xiii) Two representatives of private or captive coal producing organisations to benominated by the Central Government.

(3) Without prejudice to the generality of the provisions contained in sub-rule (1), the Coal Conservation and Development Advisory Committee shall—

- (a) advise the Central Government regarding the formulation and implementation of a national policy in relation to the conservation, development and scientific utilization of the coal reserves of the country keeping in view the recommendation that may be made in this regard by the Central Mine Planning and Design Institute or any other authority specified on its behalf;
 - (b) recommend measures which should be taken for—
 - (i) ensuring the conservation of the coal resources,
 - (ii) undertaking the development of the coal mines in a scientific manner,
 - (iii) undertaking research in relation to conservation of coal, development of coal mines and utilisation of coal,
 - (iv) undertaking formulation and implementation of national policy on Mine Closure Plan of Coal (including Lignite) mines; and
 - (v) better utilisation of coal;
 - (c) recommend the classes, grade or sizes into which coal or coke may be categorised;
 - (d) advise the Central Government on the disbursement of funds under financial assistance scheme to the owners, agents or managers of coal mines or to any other person for specified purposes;
 - (e) advise the Central Government on the manner in which and the condition, subject to which financial assistance shall be granted;
 - (f) advise the Central Government regarding the procedure that should be adopted for carrying out examination, inquiries and inspection in order to ascertain whether the financial assistance is being or has been utilised for the purpose for which it was sanctioned, as also to ascertain whether the provision made thereunder are being complied with;
 - (g) recommend to the Central Government the action that should be taken against those who make any default in complying with the provisions, and also in implementing the schemes and measures for conservation and development of coal mines.
- (4) The Coal Conservation and Development Advisory Committee shall meet as and when required by the Central Government to do so and shall have the power to regulate its own procedure.
- (5) The non-constitution of the Coal Conservation and Development Advisory Committee or the existence of any vacancy therein shall not render invalid the disbursement or application of any amounts out of the sums standing to the credit of the Coal Mines Conservation and Development Account.

12D. Purposes for which funds may be disbursed.— The Central Government may, having regard to the recommendations of the Coal Conservation and Development Advisory Committee, make disbursements to the owners, agents or manager of coal mines or to any other person, for the purposes, one or more of the following, namely : —

- (1) Conservation and safety-
 - (a) Stowing operations.
 - (b) Protective Works, including-
 - (i) blanketing with incombustible materials;

- (ii) filling up of subsidence;
- (iii) cutting of branch trenches;
- (c) Surface protection measures including vacation of buildings and structures over areas of subsidence and rehabilitation of affected persons;
- (d) Installation of stowing plants, blending plants and plants for the beneficiation of coal;
- (e) Schemes for recovery and transportation of sand.
- (2) Scientific Development of Coal Mines —
 - (a) Development of new coal mining methods, development and utilisation of explosives;
 - (b) Techno-economic studies of various underground and surface transport systems in mines;
 - (c) Investigation into problems of rock burst in deep mines;
 - (d) Investigation into roof bolting under different mining conditions;
 - (e) Introduction of man riding system;
 - (f) IT and other electronic aids for application in mining.
- (3) Research and Development—
 - (a) Transportation of stowing material;
 - (b) Investigations into suitability of waste materials for stowing in mines;
 - (c) Investigation into problems of mines fires and efficacy of different methods of dealing with them;
 - (d) Assessment of ventilation and other environmental condition in mines;
 - (e) Problems relating to Methane emission and drainage from highly gassy coal seams;
 - (f) Research on surface pollution and environmental control in mining areas;
 - (g) Any other activity for furtherance of conservation as directed by the Central Government;
- (4) Meeting the expenses in connection with the work of Advisory Committee
- (5) Development of roads and creation of rail infrastructure.

12E. Application For Assistance.— Every owner, agent or manager of a coal mine or group of coal mines or any other person, desirous of obtaining financial assistance for purposes mentioned in rule 12D, shall submit his application to the Coal Controller in the form as may be specified by the Coal Conservation and Development Advisory committee.

12F. Quantum of Assistance.— The Assistance shall be granted by the Central Government with due regard to the circumstances of each case.

12G. Acceptance of Conditions Attaching to the Grant Of Assistance.— Before granting assistance under these rules, the Central Government may specify the conditions to be fulfilled by the owner, agent or manager of a coal mine or any other person to whom assistance is proposed to be granted and secure the acceptance in writing by such owner, agent or manager of the coal mine or any other person of such conditions.

12H. Submission of Annual Reports.— Every person to whom the money has been disbursed shall submit to the Coal Controller by 30th September in each year an Annual Report regarding the utilisation of the assistance received by him during the previous financial year along with a copy of the statement of Receipts and Payments, together with the Auditor's Report in respect of the Coal Mines Conservation and Development Account and the Statement of Receipts and Payments in the form as may be specified by the Coal Controller."

[No.12012/3/2021-PS-I]

BHABANI PRASAD PATI, Jt Secy.

The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part II, Section 3, Sub Section (i) vide number GSR 540 (E), dated the 25th August 2004.